कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 101/2024 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

सुमित्रा देवी पत्नी श्री धनराज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी ग्राम देवपुरा पोस्ट सीतापुरा हाल निवासी आवां तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) **–प्रार्थीया–**

बनाम

तहसीलदार महोदय, तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.) **–अप्रार्थी–**

उपस्थितः–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीया

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवन्यू एक्ट
बाबत पत्थर गढ़ी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 812 में वर्णित खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1501 रकबा 1.21 है0., खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 730 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.18 है0 जो वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आवा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थिया की क्रयादा खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थिया खरीदने के समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज कोश्त हैं। वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पड़ी हैं। अभी वर्तमान में आस–पास के खेत वालों ने प्रार्थिया की उक्त भूमि पर मेड/डोल को नष्ट कर दी हैं।प्रार्थिया के खेत के पड़ौसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हैं तथा सीमा ज्ञान के चिन्हों को धीरे– धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे हैं। इस कारण से प्रार्थिया अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। ताकि प्रार्थिया की आराजी के पड़ौसी काश्तकार प्रार्थिया की भूमि को अपने खेतों में नहीं मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थिया जब भी अपने खेत पर जाते हैं तो उसे वहां पर सीमा चिन्ह नहीं मिलते हैं। वर्तमान में

खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थीगण मुकदमाबाजी से बच जायेगें। अप्रार्थी तहसीलदार तहसील दूनी जिला–टोंक लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए अप्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–ग्राम आंवा के खाता संख्या 812 ख. नं. 1500/0.51 है0, 1501/1.21 है0, 1502/0.41 है0, 1507/0.31 है0, 1508/0.61 है0, 730/0.13 है0 भूमि आवेदकगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जेकाश्त है। हां आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद है। नहीं, आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 भूमि खाता संख्या 812 खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1501 रकबा 1.21 है0., खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 730 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.18 है0 जो वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आवा तहसील दूनी जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी प्रार्थीया का कब्जा होने पर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे

अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली